पत्र प्राप्त
दिनांक 8/6

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–1

संख्या:12/ए–चिकित्सा निर्देश–2010 दिनॉक: ~~मई~~ जून, 2010

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष,
पुलिस विभाग, उत्तर प्रदेश।

893
4/6

विषय:– उ0 प्र0 सरकारी सेवकों की चिकित्सा परिचर्या के संबंध में दिशा–निर्देश।

कृपया उपर्युक्त विषयक पुलिस मुख्यालय के समॉक परिपत्र दिनॉक 1–1–2010 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा सेवारत/सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों एवं उनके आश्रितों के चिकित्सा पर व्यय हुई धनराशि के प्रतिपूर्ति के संबंध में दिशा–निर्देश निर्गत किये गये हैं।

2. उक्त परिपत्र में यह भी स्पष्ट किया गया था कि शासनादेश संख्या: 1209/पॉच–6–2004–294/98टी0सी0, दिनॉक 09–08–2004 में निहित व्यवस्था के अनुसार चिकित्सा प्रतिपूर्ति के दावों को प्रदेश के बाहर एवं अन्दर जिस सीमा तक स्वीकृत करने का अधिकार प्रतिनिर्धानित किये गये हैं उक्त सीमा तक की कार्योत्तर स्वीकृति भी उन्हीं प्राधिकारियों द्वारा दिये जाने के अधिकार भी शासनादेश संख्या:3055/पॉच–6–2007–294/96टी0सी0, दिनॉक 11–2–2008 द्वारा प्रदान किये गये हैं, अर्थात रू0 40,000/– के दावों में कार्यालयाध्यक्ष, रू0 40,000/– से अधिक व रू0 1,00,000/– के दावों में विभागाध्यक्ष तथा रू0 1,00,000/– से अधिक के दावों में शासन द्वारा सक्षम अधिकारी की संस्तुति पर कार्योत्तर अनुमति प्रदान किये जाने के अधिकार निहित है।

3. इस संबंध में अवगत कराना है कि प्रायः यह देखने में आ रहा है कि कतिपय मुख्य चिकित्सा अधिकारी/अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं कल्याण द्वारा दावों का तकनीकी परीक्षण तो कर दिया जाता है परन्तु कार्योत्तर अनुमति प्रदान किये जाने की संस्तुति न करके यह अंकित कर दिया जाता है कि आवश्यक अनुमति सक्षम अधिकारी से प्राप्त करें। ऐसे प्रकरणों में संबंधित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा शासनादेश दिनॉक 11–2–2008 के अनुसार कार्योत्तर अनुमति प्रदान किये जाने की संस्तुति न करके दावा ऐसे ही पुलिस मुख्यालय को प्रेषित कर दिये जाते है। फलस्वरूप संस्तुति के अभाव में अनावश्यक पत्राचार करना पड़ता है, जिससे दावों के निस्तारण में विलम्ब होता है।

4. अतएव पुनः स्पष्ट किया जाता है। कि रू0 40,000/– के उपर के जिन प्रकरणों में मुख्य चिकित्सा अधिकारी/अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण द्वारा तकनीकी परीक्षण के उपरान्त उपचार की कार्योत्तर अनुमति नहीं प्रदान की जाती अथवा इसकी संस्तुति नहीं की जाती है, उन प्रकरणों में **संबंधित कार्यालयाध्यक्ष कार्योत्तर अनुमति प्रदान किये जाने की अपनी संस्तुति के साथ** ही पुलिस मुख्यालय को प्रेषित करें ताकि तदनुसार सक्षम अधिकारी से कार्योत्तर अनुमति प्राप्त कर दावों का निस्तारण किया जा सके।

कृपया उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

Ohe Vahe,
M/Secy/SI HQ. DSP Hr HC/ACTT.

11/6/10

(मोनिका चडढ़ा)
पुलिस उपाधीक्षक, भ0/क0,
नि0 अपर पुलिस महानिदेशक, भ0/क0,
उत्तर प्रदेश।

Chairman
4/6

SP 4/6 H.C.
4/6

8/6